

‘बालकबुद्धि सवार हो जाये तो किसी के भी गले पड़ जाती है, किसी बात-व्यवहार का कोई ठिकाना नहीं रहता’

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नाम लिये बिना राहुल गांधी के भाषण को “बालकबुद्धि की बचकाना हरकत” करार दिया है

नयी दिल्ली, 2 जुलाई (वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के सोमवार को सदन में भाषण को ‘बालकबुद्धि की बचकाना हरकत’ करार दिया है और कहा है कि कांग्रेस ‘झूठ को राजनीतिक हथियार’ बना कर देश को अराजकता एवं गंभीर संकट की ओर धकेल रही है जिसे रोकने के लिए कठोर कार्रवाई की जरूरत है।

मोदी ने यहां सदन में राष्ट्रपति अभिभाषण पर 18 घंटे तक चली चर्चा का लंबा जवाब देते हुए यह बात कही। मोदी ने कहा कि, कल सदन में जो कुछ भी देखा वो एक बालकबुद्धि का विलाप चल रहा था। बालकबुद्धि ने खुद को पीड़ित दिखा कर सहानुभूति बटोरने की खूब कोशिश की है। लेकिन अपने अपराध और अपने दोष के बारे में कोई बात नहीं की। प्रधानमंत्री ने एक छोटे बच्चे की कहानियां सुना कर कहा कि कांग्रेस का ईकोसिस्टम बालक का मन बहलाने का काम कर रहा है।

राहुल ने ओम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
उन्होंने आगे यह भी कहा कि उनकी टिप्पणियों को सदन की कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटाना संसदीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। अपने पत्र में गांधी ने प्रक्रिया से टिप्पणी हटाने के नियम में दोहरे मापदंड प्रयोग करने की तरफ आसन का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के भाषण का उल्लेख किया जिसमें अनेक आरोप लगाए गए थे उसमें से सिर्फ एक शब्द हटाया गया है।

ससम्मान अनुरोध है कि “यह चुनिंदा निस्तीकरण तर्क विरुद्ध है “उन्होंने जोर देकर कहा कि संसदीय भाषणों के कार्य में पक्षपात तरीके अपनाना तर्क विरुद्ध है।

उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ने अनुरोध किया कि वे सदन की कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटाई गई टिप्पणियों को पुनः बहाल

करें। यह बात उन्होंने सांसदों के अभिव्यक्ति के अधिकारों को बरकरार रखने व निष्पक्षता की जरूरत पर जोर देते हुए पत्र में लिखा।

पिछले फरवरी 2023 में भी अध्यक्ष बिड़ला ने लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण का एक भाग इसी प्रकार कार्यवाही से काट दिया था।

धार्मिक आयोजन में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
मालूम था कि इस स्थान पर इतनी बड़ी तादाद में लोग एकत्रित हो रहे हैं तो उन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम किये। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना के लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा कि हाथरस जिले में हुई इस भगवदूड की दुर्घातिका में बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। आगरा में एक बौद्ध भीम कथा के दौरान एक युवक की हत्या कर दी गई। है अति दुर्भाग्यपूर्ण व दुःखद घटनाएँ हैं। सरकार को इन घटनाओं की जांच करना चाहिए और उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि वे यह जानना चाहते हैं कि राज्य प्रशासन इस प्रकार की आपात परिस्थिति के लिए तैयार क्यों नहीं था? उन्होंने यह भी कहा कि इस बारे में सूचित किया गया है कि अस्पतालों में च्यपल मात्रा में डॉक्टरों व उचित सुविधाएँ घायलों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। हम मृतकों के लिए

दो हजार के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
नोट चलन में रह गए थे। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 2000 रुपये के बैंकनोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।

कोद्रीय बैंक ने दिनांक पिछले वर्ष 19 मई को 2000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंकनोट चलन से वापस लेने की घोषणा की घोषणा की थी और लोगों ने नोट बैंकों और रिजर्व बैंक की शाखाओं में नियमानुसार वापस जमा करने या बदलवाने का अवसर मिला।

2000 रुपये के बैंकनोटों को जमा करने और/ या बदलने की सुविधा 7 अक्टूबर 2023 तक देश की सभी बैंक शाखाओं में उपलब्ध थी।

गत नौ अक्टूबर 2023 से, भारतीय रिजर्व बैंक के निगम कार्यालय, व्यक्तियों/ संस्थाओं से उनके बैंक खातों में जमा करने के लिए भी 2000 रुपये के बैंकनोट स्वीकार कर रहे हैं। इसके अलावा, जन सामान्य अपने बैंक खातों में जमा करने हेतु देश के किसी भी डाकघर से भारतीय डाक के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक के किसी भी निगम कार्यालय को 2000 रुपये के बैंक नोट भेज रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नाम लिये बिना राहुल गांधी के भाषण को “बालकबुद्धि की बचकाना हरकत” करार दिया है

- मोदी ने कहा कि, कल सदन में जो कुछ भी देखा वो एक बालकबुद्धि का विलाप चल रहा था। बालकबुद्धि ने खुद को पीड़ित दिखा कर सहानुभूति बटोरने की खूब कोशिश की है।**

- प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि, कांग्रेस का पूरा ईकोसिस्टम राहुल गांधी को बहलाने का प्रयास में जुटा है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी जी आप फेल हुये हो आपके सौ में से 99 नहीं 543 में से 99 आये हैं।**

उन्होंने कटाक्षपूर्ण लहजे में कहा, बालक बुद्धि में ना तो बोलने का कोई ठिकाना, ना ही कोई व्यवहार का ठिकाना है। जब बालकबुद्धि पूरी तरह से सवार हो जाये तो किसी के भी गले पड़ जाती है। बालक बुद्धि सीमा पर कर जाये तो किसी को आंख भी मारती है। उन्होंने कहा कि उनकी सच्चाई देश समझ चुका है। देश कह रहा है कि इनसे ना हो पायेगा।

प्रधानमंत्री ने गोस्वामी तुलसीदास को उद्धृत करते हुए कहा, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबैना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने झूठ को

राजनीतिक हथियार बना लिया है। कांग्रेस के मुंह में झूठ ऐसे लग गया है जैसे किसी आदमखोर जानवर के दांत में इन्सान का खून।

मोदी ने कहा कि ऐसे समय जब देश विकास के रास्ते पर है, देश के विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए सबको एकजुट होकर समृद्धि का नया विपरीत शुरू करना है, उस समय यह हमारा दुर्भाग्य है कि देश में छह दशक तक राज करने वाली पार्टी अराजकता फैलाने में लगी है। उतर में दक्षिण के खिलाफ, पूर्व में पश्चिम के खिलाफ, भाषा, धर्म, जाति के आधार

पर बांटने के बात कर रही है। एक जाति को दूसरी से लड़वाने के लिए नये नैटिव नयी अफवाहें फैलायी जा रही हैं। देश के एक हिस्से के लोगों को हीन बताने के कुत्सित प्रयास हो रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव में जो वादे किये हैं और कांग्रेस शासित राज्यों में जिस प्रकार के फैसले किये जा रहे हैं, वह देश को आर्थिक अराजकता में घसीटने का काम किया जा रहा है। यदि चुनाव में इनके मन का परिणाम नहीं आता तो देश में आग लगाने की तैयारी थी। भारत की लोकातांत्रिक प्रक्रिया पर उंगली उठाना, सीए को लेकर

कांस्टेबल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
याचिकाकर्ता सहित अन्य कांन्स्टेबलों के खिलाफ राधेश्याम दर्जी की हिरासत में मौत का मामला दर्ज हुआ था। निचली अदालत से आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील गई। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल, 2016 को याचिकाकर्ता को बरी कर दिया। इससे पहले बिना बताए ड्यूटी पर अनुपस्थित रहने के आरोप में झालावाड़ एसपी ने अक्टूबर 2000 में याचिकाकर्ता कांन्स्टेबल को बर्खास्त कर दिया और बाद में उप गृह सचिव ने भी याचिकाकर्ता की अपील खारिज कर दी। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को न तो कारण बताओ नोटिस दिया गया और न विभागीय चार्जशीट ही दी गई। वहीं ठीक ऐसे ही एक अन्य मामले में निचली अदालत से बरी हुए तेज सिंह को पूर्व में पुलिस सेवा में ही बहाल किया जा चुका है। याचिका में कोर्ट के इस फैसले का हवाला देते हुये ही कांन्स्टेबल को वापस सेवा में लिये जाने की अपील की गई थी, जिस पर सुनवाई अटक हुये एकडंपीट ने याचिकाकर्ता को पुनः सेवा में लेने के आदेश देते हुए उसे समस्त परिलाम देने के लिए कहा है।

‘नेहरु ने पूरा जोर लगाकर अंबेडकर को चुनाव हरवाया था’

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास ऐसी दलित विरोधी घटनाओं से अटा पड़ा है

- मोदी ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की कैबिनेट से, तत्कालीन कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस्तीफे की चर्चा करते हुए कहा कि, अंबेडकर ने दलितों की उपेक्षा की वजह से उनकी कैबिनेट से इस्तीफा दिया था**

जातियों की उपेक्षा के कारण अपने आक्रोश को रोक नहीं सका।नेहरूजी ने बाबासाहब का राजनीतिक जीवन खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। पहले षडयंत्र पूर्वक चुनाव में हरवाया गया। इतना ही नहीं, इस पराजय का जश्न मनाया गया”।

पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि पंडित नेहरू ने पूरा जोर लगा दिया था कि अंबेडकर चुनाव वहीं जीत सकें। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू की दलित विरोधी मानसिकता की वजह

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास ऐसी दलित विरोधी घटनाओं से अटा पड़ा है

- मोदी ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की कैबिनेट से, तत्कालीन कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस्तीफे की चर्चा करते हुए कहा कि, अंबेडकर ने दलितों की उपेक्षा की वजह से उनकी कैबिनेट से इस्तीफा दिया था**

जातियों की उपेक्षा के कारण अपने आक्रोश को रोक नहीं सका।नेहरूजी ने बाबासाहब का राजनीतिक जीवन खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। पहले षडयंत्र पूर्वक चुनाव में हरवाया गया। इतना ही नहीं, इस पराजय का जश्न मनाया गया”।

पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि पंडित नेहरू ने पूरा जोर लगा दिया था कि अंबेडकर चुनाव वहीं जीत सकें। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू की दलित विरोधी मानसिकता की वजह

भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ.

सतीश पूनिया मेवाड़ दौरे पर

राजसमंद/जयपुर, 2 जुलाई। राजस्थान में भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने नाथद्वारा में कार्यकर्ताओं के साथ श्रीनाथजी के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली एवं उन्नित को कामना की। डॉ. पूनिया ने कुंभलगढ़ से विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ की

- डॉ. पूनिया नाथद्वारा भी गए और श्रीनाथ जी के दर्शन किए**

- डॉ. पूनिया ने कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ की दिवंगत माता जी को श्रद्धांजलि अर्पित की।**

माताजी पारस केंवर के निधन पर आमेट में परिजनों को ढांडस बंधाया तथा माताजी की श्रद्धांजलि दी। पाली के मारवाड़ जंक्शन से पूर्व विधायक खुशवीर सिंह के भाभीजी गजेंद्र केंवर के निधन पर जोजावर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित कर परिवारजनों को ढांडस बंधाया एवं दुख की घड़ी में ईश्वर से सम्बल प्रदान करने की कामना की।

‘सेबी निवेशकों की रक्षा करने के बजाय धोखेबाजों को बचाने की ज्यादा कोशिश कर रही है’

अमेरिकी इन्वैस्टमेंट रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने कहा है कि, हमारी कंपनी ने अडानी ग्रुप पर खुलासे किये थे लेकिन सेबी ने उस पर एक्शन लेने की बजाय उल्टा हमें ही नोटिस भेज दिया है

नई दिल्ली, 2 जुलाई। सेबी ने अडानी मामले में अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग को नोटिस भेजा था, जिसके जवाब में हिंडनबर्ग ने कहा है कि सेबी निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाने की जगह धोखेबाजों को बचाने की ज्यादा कोशिश कर रही है। अमेरिका की इन्वैस्टमेंट रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की वेबसाइट पर छपे एक लेख में दावा किया गया है कि कंपनी ने जनवरी 2023 में अडानी समूह को लेकर जो खुलासे किए थे, उनके जवाब में भारत में शेयर बाजार की नियामक संस्था सिक्वाइटौड एंड एसचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने उसे ही एक नोटिस भेज दिया है. हिंडनबर्ग के मुताबिक, सेबी ने 27 जून 2024 को ईमेल के जरिए उसे 39;कारण-बताओ39; नोटिस भेजा,

जिसमें नियामक ने हिंडनबर्ग पर भारतीय नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। क्या है सेबी के आरोप नोटिस के मुताबिक, सेबी का आरोप है कि हिंडनबर्ग और उसके एकमात्र मालिक नेथन एंडरसन ने अडानी समूह के खिलाफ अपनी रिपोर्ट जारी कर जानबूझ कर समूह का नुकसान कराया और अपने भी है कि खुद हिंडनबर्ग ने भी इस मुनाफे में से 25 प्रतिशत हिस्सा लिया। सेबी की जांच के मुताबिक, हिंडनबर्ग ने अडानी पर अपनी रिपोर्ट जारी करने से पहले किंगडन को दिखाई, जिसके बाद किंगडन ने अडानी के शेयरों में शॉर्ट-सेलिंग की तैयारी कर ली। रिपोर्ट जारी होने के बाद शॉर्ट-सेलिंग हुई और शेयर का मूल्य 59

दिल्ली बार काउन्सिल ने नए अपराधिक कानूनों को वापस लेने का अनुरोध किया

नयी दिल्ली, 2 जुलाई (वार्ता)। दिल्ली बार काउंसिल ने एक जुलाई से लागू तीन नए अपराधिक कानूनों को वापस लेने का अनुरोध मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से किया। दिल्ली बार काउंसिल के उपाध्यक्ष संजीव नसियार ने कहा कि नए कानून

- दिल्ली बार काउन्सिल के उपाध्यक्ष संजीव नसियार ने कहा कि, नए कानून लागू होने के समय पिछली सरकार का कार्यकाल समाप्त हो चुका था।**

- बार काउन्सिल ने उदाहरण देते हुये कहा है कि, नये कानूनों में “ धारा 187(3) के तहत पुलिस हिरासत की अवधि को 15 दिनों से बढ़ाकर 60/90 दिन किया जाना एक प्रकार से अत्याचारी और दमनकारी है।”**

लागू होने के समय पूर्ववर्ती सरकार का कार्यकाल समाप्त हो चुका था। नसियार ने देते हुए कहा, “संवैधानिक औचित्य के रूप में इन कानूनों को नई निर्वाचित संस्थाओं की मंजूरी और अनुमोदन के बिना बदली हुई परिस्थितियों में लोगों पर नहीं थोपा जा सकता।इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये संशोधन संवैधानिक सिद्धांतों और उच्चतम न्यायालय के फैसले की पूरी

तरह से अवहेलना करते हैं” उन्होंने कहा, “ धारा 187(3) के तहत पुलिस हिरासत की अवधि को 15 दिनों से बढ़ाकर 60/90 दिन करने को कम से कम बहने के लिए तो अत्याचारी और दमनकारी है।”

उन्होंने कहा कि नए कानूनों के तहत

अदालत की अनुमति के बिना हथकड़ी लगाने की शक्ति जनता के बीच राज्य (सरकार) के आतंक का संकेत देती है। इसलिए इन कानूनों को खत्म कर देना चाहिए। नसियार ने कहा कि अदालत की बिना अनुमति हथकड़ी लगाने की शक्ति न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर के फैसले के खिलाफ है। शीर्ष अदालत ने एकांत कारावास को मानवाधिकारों के लिए अस्थिर माना था।

‘सेबी निवेशकों की रक्षा करने के बजाय धोखेबाजों को बचाने की ज्यादा कोशिश कर रही है’

अमेरिकी इन्वैस्टमेंट रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने कहा है कि, हमारी कंपनी ने अडानी ग्रुप पर खुलासे किये थे लेकिन सेबी ने उस पर एक्शन लेने की बजाय उल्टा हमें ही नोटिस भेज दिया है

प्रतिशत गिर गया। क्या था अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट में रिपोर्ट ऐसे समय पर जारी की गई थी, जब अडानी समूह एक फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ) के बीच में था. बाद में समूह को एफपीओ वापस लेना पड़ा था. सेबी के नोटिस के मुताबिक, रिपोर्ट छपने से कुछ ही दिन पहले 39;के. इंडिया अपरेच्युनिटीज फंड लिमिटेड - क्लास एफए39; नाम की एक विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कंपनी (एफपीआई) ने भारत में ट्रेडिंग के लिए खाता खोला और अडानी के शेयरों में ट्रेडिंग शुरू की। एक भारतीय कंपनी की भी है भूमिका फिर इसी एफपीआई ने रिपोर्ट छपने के बाद अपने सारे शेयर बेच दिए और 183.24 करोड़ का मुनाफा कमाया।

सेबी ने अपने नोटिस में इस एफपीआई का पूरा नाम नहीं बताया है, लेकिन हिंडनबर्ग ने अपने जवाब में बताया कि यह कोटड बैंक का एफपीआई था जिसका किंगडन ने अडानी के खिलाफ दांव लगाने के लिए इस्तेमाल किया। सेबी ने हिंडनबर्ग को 21 दिनों के अंदर जवाब देने के लिए कहा है। कारण-बताओ नोटिस जारी करने के बाद अगर सेबी आरोपी को दोषी पाता है, तो उसपर जुर्माना लगा सकता है और भारतीय शेयर बाजार में भाग लेने से प्रतिबंधित कर सकता है। हिंडनबर्ग ने अपनी वेबसाइट पर छपे लेख में सेबी के सभी आरोपों से इनकार किया है और सेबी पर ही सबाल उठाए हैं. कंपनी ने कहा है कि उसने पहले ही बताया था कि वह अडानी के शेयरों में शॉर्ट-सेलिंग कर रही है।

‘नेहरु ने पूरा जोर लगाकर अंबेडकर को चुनाव हरवाया था’ ए.सी.बी. ने हाई ...

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास ऐसी दलित विरोधी घटनाओं से अटा पड़ा है

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास ऐसी दलित विरोधी घटनाओं से अटा पड़ा है

- मोदी ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की कैबिनेट से, तत्कालीन कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस्तीफे की चर्चा करते हुए कहा कि, अंबेडकर ने दलितों की उपेक्षा की वजह से उनकी कैबिनेट से इस्तीफा दिया था**

बनने देने का संकल्प लिया था। पीएम ने कहा, "इमरजेंसी के बाद जगजीवन राम के पीएम बनें तो सेबीबना थी। इंदिरा गांधी ने ये पक्का किया कि जगजीवन राम किसी भी कीमत पर पीएम न बन पाएँ।

एक किताब में लिखा है कि अगर जगजीवन राम पीएम बन गए तो वे हटेंगे नहीं।" उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह के साथ भी यही व्यवहार किया था। पीएम ने कहा कि बिहार के ही पिछड़े समुदाय के नेता रहे सतीताम केसरी के साथ भी कांग्रेस ने अपमानजनक व्यवहार किया था, जबकि केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी रही है। उसने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लंबे समय तक दबा रखी थी लेकिन वीपी सिंह की सरकार ने उसे लागू किया।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राजभवन की अरामगृह्य घटनाओं से संबंधित खबरों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक चुनाव प्रचार मीटिंग के दौरान राजभवन जाने को लेकर टिप्पणियां की थीं। उन टिप्पणियों से पूरे राज्य में हैरानी के साथ-साथ अफवाहों ने अपमानजनक व्यवहार किया था, जबकि केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी रही है। उसने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लंबे समय तक दबा रखी थी लेकिन वीपी सिंह की सरकार ने उसे लागू किया।

राजभवन की अरामगृह्य घटनाओं से संबंधित खबरों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक चुनाव प्रचार मीटिंग के दौरान राजभवन जाने को लेकर टिप्पणियां की थीं। उन टिप्पणियों से पूरे राज्य में हैरानी के साथ-साथ अफवाहों ने अपमानजनक व्यवहार किया था, जबकि केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे।

उसके बाद, संदेशखाली प्रकरण का विरोध करन वाले एक प्रमुख पैरोकार ने ममता बनर्जी विरोधी टिप्पणी करते हुए कहा था कि "ममता बनर्जी जैसी एक बुजुर्ग महिला को यदि राजभवन में अस्तिमा खोने का डर है तो आप उन जवान महिलाओं की प्रतिष्ठा के बारे में क्या कहेंगे जिनका संदेशखाली में यौन शोषण किया गया।

राज्यपाल द्वारा आज उठाए गए कदम के बारे में पूछने पर तुणमूल के विरोध विचार ने अपेक्षाकृत एक मेल-मिलान वाले अंदाज में कहा कि बेहतर होता यदि राज्यपाल मुख्यमंत्री के विरुद्ध मानहानि का केस दायर करने से परहेज करते। उन्होंने दावा किया कि

^[1] राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मूद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेम, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शांतिंग सेंटर, टॉक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन. आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdoot@gmail.com कोटा कार्यालय-पलायका हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा फोन:-2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाकरा हाउस, हुसैनपुर हत्या, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2525737 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-चूपा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर।फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चुरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चुरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908

^[2] राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मूद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेम, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शांतिंग सेंटर, टॉक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन. आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdoot@gmail.com कोटा कार्यालय-पलायका हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा फोन:-2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाकरा हाउस, हुसैनपुर हत्या, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2525737 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-चूपा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर।फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चुरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चुरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908